कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)
(07836-232721) (कार्या.), 232722 (फैक्स), Email ID : korea.cg@nic.in)

–संशोधित आदेश–

बैकुण्ठपुर दिनांक– 26 / 07 / 2017

क्रमांक 5755 / वित्तलेखा / 2017 :: श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना पत्र क्रमांक / आठ / न्यू0वेतन / श्र0आ0 / 2016 / 3030 रायपुर दिनांक 02–05–2017 के परिपालन में श्रम पदाधिकारी बैकुण्ठपुर का संशोधित परिपत्र क्रमांक / न्यू0वे0 / 1761 / श्र.प. / न्यू.वे. / कोरिया / 2017 दिनांक 15–06–2017 के अनुसार राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संशोधित अधिसूचना अनुसूची–(ख) में उल्लेखित मजदूरी के न्यूनतम दरें निम्नानुसार जो दिनांक **01–04–2017 से 30–09–2017** तक के लिए वृद्धि की गई है। पूर्व में छ0ग0 शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–4 / 2016 / 16 दिनांक 1–5–2017 के परिप्रेक्ष्य में जारी अनुसूची "ख" एवं "ग" को निरस्त किया जाकर संशोधित अनुसूची "ख" एवं "ग" जारी किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 303 / आर / 577 / नि0–5 / चार दिनांक 30 / 6 / 92 तथा छ0ग0 राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा–2 (घ) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं **नरेन्द्र कुमार दुग्गा, (आई0ए0एस0) कलेक्टर, जिला–कोरिया (छत्तीसगढ़)** न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियोजनों के लिये इस आदेश के द्वारा आकस्मिक व्यय के मद में मासिक / समयावधि एवं दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक **01–04–.2017 से 30–09–2017** तक के लिये कोरिया जिले में निम्नानुसार दरें निर्धारित करता हूँ:–

परिवर्तनशील दर (अनुसूची–(ख)

अनुसूचित नियोजन भाग–एक के 45 नियोजनः–

(दिनांक–01–04–2017 से 30–09–2017 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तन शील महंगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल	ब	8060.00	310.00	130.00	5.00	8190.00	315.00
		स	7800.00	300.00	130.00	5.00	7930.00	305.00
2	अर्द्धकुशल	ब	8710.00	335.00	130.00	5.00	8840.00	340.00
		स	8450.00	325.00	130.00	5.00	8580.00	330.00
3	कुशल	ब	9490.00	365.00	130.00	5.00	9620.00	370.00
		स	9230.00	355.00	130.00	5.00	9360.00	360.00
4	उच्च कुशल	ब	10270.00	395.00	130.00	5.00	10400.00	400.00
		स	10010.000	385.00	130.00	5.00	10140.00	390.00

(अनुसूची–"ग")

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एंव कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ताः–

(दिनांक–01–04–2017 से 30–09–2017 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तन शील महंगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल	ब	8060.00	268.67	130.00	4.33	8190.00	273.00
		स	7800.00	260.00	130.00	4.33	7930.00	264.33
2	अर्द्धकुशल	ब	8710.00	290.33	130.00	4.33	8840.00	294.67
		स	8450.00	281.67	130.00	4.33	8580.00	286.00
3	कुशल	ब	9490.00	316.33	130.00	4.33	9620.00	320.67
		स	9230.00	307.67	130.00	4.33	9360.00	312.00
4	उच्च कुशल	ब	10270.00	342.33	130.00	4.33	10400.00	346.67
		स	10010.000	333.67	130.00	4.33	10140.00	338.00

26/7/2017

Scanned by CamScanner

जोन "ब"–

नगर पालिका निगम कोरिया सीमा से 8 कि0मी0 तक का क्षेत्र है।

जोन "स" –

जोन "ब" एंव "अ" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।

विशेष टीप :–

(क) अनुसूची "ग" के लिए उपभोक्ता निर्धारित वेतन दर 30 से विभाजीत करने से सप्ताहिक विश्राम दिवस का पारिश्रमिक सम्मिलित नहीं है।

1:– इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वह कलैण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी। कैलेण्डर माह में एक दिन का वेतन गणना करने लिए मासिक वेतन को 26 (छब्बीस) से भाग देकर गणना किया जावेगा। यदि काई कर्मचारी महिने में 26 दिन कार्य करता है तो उसे पूरे माह की वेतन की पात्रता होगी। माह में चार अवकाश के अतिरिक्त अवकाश उपभोग करने की स्थिति में यदि अनुपस्थिति मानकर वेतन काटने की स्थिति बनती है तो संबंधित तालिका के अनुसार प्रतिदिन का परिश्रमिक काटा जायेगा।

2:– दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिकों को भी निरन्तर 6 (छः) दिवस कार्य करने के पश्चात एक दिवस अवकाश की पात्रता होगी।

3:– उपयुर्क्त निर्धारित समस्त दरें पुरूष एवं महिलाओं को समान रूप से देय होगा।

4:– अंशकालिक श्रमिक पूरे चार घन्टे काम करने पर ही माना जायेगा। उसे देय मासिक तथा दैनिक पारिश्रमिक का आधा पारिश्रमिक देय होगा।

5:– यदि किसी विभाग में पूर्व से ही अधिक दर पर इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दर निर्धारित हो तो उसे कम नहीं की जावेगी।

6:– जिन कर्मचारियों के वेतन वर्गीकरण से अधिक दर पर इस श्रेणी के कर्मचारियों के दर निर्धारित हो तो उसे कम नहीं की जावेगी।

7:– यदि किसी पद के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी नियोजन में वेतन निर्धारण किया गया हो तो नवनियुक्ति वेतन भोगी कर्मचारियों को वही वेतन देय होगा जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत देय है।

8:– अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों तथा कर्मचारियों के वर्गीकरण की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी।

कलेक्टर
जिला–कोरिया (छ0ग0)
26/7/2017

पृ0क्र0 5756 / वित्तलेखा / 2017 बैकुण्ठपुर दिनांक– 26 / 07 / 2017

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग / राजस्व विभाग / श्रम विभाग / मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
2– आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
3– समस्त कलेक्टर जिला–..(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
4– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
5– समस्त कार्यालय / विभाग प्रमुख ....जिला–कोरिया की ओर सूचनार्थ।
6– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) .... जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
7– तहसीलदार ....जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
8–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत..जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
9–मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद..जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
10–मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत.. जिला–कोरिया (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
11–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया (छ.ग.) की ओर जिले के बेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
12–जिला जन संर्पक अधिकारी बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
जिला–कोरिया (छ0ग0)

Scanned by CamScanner